जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/वनिस/सचिव/2022/डी– 251 दिनांकः– 09/11/2022

कार्यालय आदेश

जविप्रा द्वारा भूमि के बदले भूमि देने के संबंध में कई बार खातेदारी के स्वामित्त्व के संबंध में न्यायालय में वाद, मौके पर आवेदक का स्वयं का कब्जा न रहकर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा, रजिस्टर्ड/ अनरजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर खरीद/बेचान की सम्भावना रहती है या आपसी बंटवारे या अन्य कोई कारण को लेकर भूमि पर न्यायालय का वाद लम्बित रहता है। इससे प्राधिकरण को राजस्व हानि एवं अनावश्यक वादकरण का सामना करना पड़ सकता है।

अतः ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भूमि के बदले भूमि देने से पूर्व जोन द्वारा जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से राज्य स्तरीय एक अखबार में व स्थानीय स्तरीय एक अखबार में उक्त के संबंध मे विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाकर आपत्तियाँ प्राप्त की जावे। विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व जोन उपायुक्त प्रकरण की पूर्ण जाँच कर यह सुनिश्चित करे कि प्रकरण भूमि के बदले भूमि देने योग्य है अथवा नहीं। उसके उपरान्त ही विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जावे। जारी की जाने वाली विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न है।

(उज्ज्वल राठौड़) 9/11/22
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3. वन संरक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त आयुक्तगण, जविप्रा, जयपुर।
5. समस्त निदेशक अभियांत्रिकी, जविप्रा, जयपुर।
6. समस्त जोन उपायुक्तगण जविप्रा, जयपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।
8. सिस्टम एनालिस्ट जविप्रा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षी पत्रावली ।

9/11/22
सचिव

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004
फोन : 0141–2563145 e-mail : secretary.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प्रारूप विज्ञप्ति

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की............................फीट चौड़ी जोनल प्लान सड़क (................से...........................तक) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम... तहसील................ के खसरा नम्बर....................................किता....................रकबा.......................... ....है0 के खातेदार/खातेदारों द्वारा जयपुर प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत् समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत् विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत् यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन कार्यालय (................) में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302 004

फोन : 0141–2563145 e-mail : secretary.jda@rajasthan.gov.in